

### असाधारण

### **EXTRAORDINARY**

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

# प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 685] No. 685] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 5, 2015/कार्तिक 14, 1937

NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 5, 2015/KARTIKA 14, 1937

### मानव संसाधन विकास मंत्रालय

## (उच्चतर शिक्षा विभाग)

# अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 अक्तूबर, 2015

सा.का.नि. 837(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी, विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, 2007 (2007 का 29) की धारा 26 की उप-धारा (3) और उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कुलाध्यक्ष के पूर्वानुमोदन से राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के प्रथम परिनियम में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ
  - (1) इन परिनियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान प्रथम परिनियम, (संशोधन) परिनियम, 2015 है।
  - (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के प्रथम परिनियम में अनुसूची 'क' के पैरा (2) में—
  - (i) "65 वर्ष से कम आयु" शब्दों और अंकों के स्थान पर "70 वर्ष से कम आयु" शब्द और अंक रखे जाएंगे;
  - (ii) "65 वर्ष की आयु" शब्दों और अंकों के स्थान पर "70 वर्ष की आयु" शब्द और अंक रखे जाएंगे ।

[फा. सं. 33-4/2012-टी एस-III]

आर. सुब्रमन्यम, अपर सचिव

**टिप्पण :** मूल परिनियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (i), तारीख 23 अप्रैल, 2009 में सा.का.नि. सं. 280(अ), तारीख 23 अप्रैल, 2009 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

4710 GI/2015 (1)

### MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

## (Department of Higher Education)

### **NOTIFICATION**

New Delhi, the 15th October, 2015

**G.S.R. 837(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) and (4) of section 26 of the National Institutes of Technology, Science Education and Research Act, 2007 (29 of 2007), with the previous approval of the Visitor, the Central Government hereby makes the following amendment in the First Statutes of the National Institutes of Technology, namely:—

### 1. Short title and Commencement

- (1) These Statutes may be called the First Statutes of the National Institutes of Technology (Amendment) Statutes, 2015.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the First Statutes of the National Institutes of Technology, in Schedule 'A', in paragraph (2)—
  - (i) for the words and figures "below 65 years of age" the words and figures "below 70 years of age" shall be substituted;
  - (ii) for the words and figures "the age of 65" the words and figures "the age of 70" shall be substituted.

[F. No. 33-4/2012-TS.III]

R. SUBRAHMANYAM, Addl. Secy.

**Note:** The principal Statutes were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (i) dated the 23rd April, 2009 vide number G.S.R. 280(E) dated 23rd April, 2009.